

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल 2013—वैशाख 7, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्र. 2882-143--इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१३

मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, २०१३

विषय-सूची.

धाराएं :

अध्याय एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.
२. परिभाषाएं.

अध्याय दो

मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग

३. आयोग की स्थापना तथा निगमन.
४. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की नियुक्ति.
५. चयन समिति का गठन और उसके कृत्य.
६. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों की पदावधि.
७. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों का पारिश्रमिक.
८. सेवा की शर्तें.
९. आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य होने के लिए अर्हता.
१०. आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी.
११. आयोग की कार्यवाहियां.
१२. रिक्तियों आदि के कारण कार्य अथवा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.

अध्याय तीन

आयोग के कृत्य, कर्तव्य तथा शक्तियां

१३. आयोग के कृत्य तथा कर्तव्य.
१४. आयोग की शक्तियां.
१५. आयोग की साधारण नीतियां.

अध्याय चार

लेखे, संपरीक्षा और रिपोर्ट

१६. आयोग को अनुदान तथा अग्रिम.
१७. आयोग का बजट.
१८. आयोग के लेखे.
१९. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

२०. सरकार की साधारण शक्तियां.
२१. आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे.
२२. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
२३. नियम बनाने की शक्ति.
२४. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति.
२५. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
२६. अधिकारिता का वर्जन.

अध्याय छह

व्यावृत्तियां

२७. व्यावृत्तियां.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१३

मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, २०१३.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक २७ अप्रैल, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

सरकार को जल के टैरिफ और जल के कुशलतापूर्वक उपयोग से संबंधित मामलों में सलाह देने और अन्य प्रयोजनों के लिए राज्य में मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग की स्थापना का उपबंध करने हेतु अध्यादेश.

यतः राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाही करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

अध्याय एक प्रारंभिक

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, २०१३ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

(४) मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९), मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१), मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अध्यादेश के उपबंध जल के टैरिफ के निर्धारण के संबंध में लागू होंगे.

संक्षिप्त नाम, विस्तार
प्रारंभ तथा लागू
होना.

२. (१) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) "अध्यक्ष (चेयरपर्सन)" से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन);

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य;

(ङ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा विहित;

(च) "विनियम" से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम;

(छ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है धारा ५ के अधीन गठित चयन समिति;

- (ज) "सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं सेवाओं को प्रदान करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकार निहित किया गया हो :—
- (एक) जल आपूर्ति प्रणाली का अनुरक्षण तथा संचालन;
- (दो) जल वितरण;
- (तीन) जल से संबंधित जल प्रभारों तथा राजस्व का संग्रहण;
- (चार) सरकार द्वारा सौंपी गई कोई अन्य सेवा;
- (झ) "प्रभार" से अभिप्रेत है जल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए लागू विशिष्ट प्रभार या प्रभारों का समूह.

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु जो मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९), मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९३३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में परिभाषित किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो संबंधित अधिनियमों में उनके लिए दिए गए हैं.

अध्याय—दो

मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग

आयोग की स्थापना तथा निगमन.

३. (१) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक आयोग की स्थापना करेगी जो मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग के नाम से जाना जाएगा. आयोग उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि इस अध्यादेश के अधीन उसे सौंपे जाएं.

(२) आयोग, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और दो पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा.

(३) सरकार द्वारा, आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य धारा ५ के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे.

(४) आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा.

अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की नियुक्ति.

४. (१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की अर्हता निम्नानुसार होगी :

(क) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकार के प्रमुख सचिव के पद से अनिम्न पद का अधिकारी रह चुका हो और जिसे जल संसाधन के क्षेत्र में नीति निर्धारण और प्रशासन का अनुभव हो;

(ख) एक सदस्य सिविल इंजीनियरिंग का उपाधिधारी ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जल संसाधन के क्षेत्र का कम से कम २० वर्ष का अनुभव हो जिसमें किसी भी सरकार के मुख्य अभियंता के रूप में दो वर्ष का अनुभव सम्मिलित है;

(ग) एक सदस्य, नगरीय प्रशासन और विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कि जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो.

(२) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे.

५. (१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से नियुक्त किए जाएंगे.

चयन समिति का गठन और उसके कृत्य.

(एक)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(दो)	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(तीन)	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का भारसाधक सचिव	सदस्य
(चार)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का भारसाधक सचिव	सदस्य
(पांच)	जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव	संयोजक

(२) चयन समिति, सरकार को प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी.

६. (१) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे तथा पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार होंगे.

अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों की पदावधि.

(२) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या कोई सदस्य ६५ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पद पर नहीं रह जाएगा.

७. (१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों को ऐसे पारिश्रमिक का भुगतन किया जाएगा, जो कि विहित किया जाए.

अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों का पारिश्रमिक.

(२) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभप्रद रूप में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा.

८. (१) धारा ६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य सरकार को, लिखित में एक मास की सूचना देकर पद त्याग सकेंगे.

सेवा की शर्तें.

(२) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य :

- (क) ऐसी तारीख से, जिसको कि वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, दो वर्ष की कालावधि के लिए, सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा;
- (ख) ऐसी तारीख से, जिसको कि वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, दो वर्ष की कालावधि तक कोई व्यावसायिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए:

- (एक) “सरकार के अधीन नियोजन” में मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन या सरकार के नियंत्रण के अधीन या सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित किसी निगम या सोसायटी के अधीन नियोजन सम्मिलित है.
- (दो) “व्यावसायिक नियोजन” से अभिप्रेत है किसी भी हैसियत में नियोजन जिसमें किसी ऐसे क्षेत्र में, जिस पर कि आयोग की अधिकारिता हो या रही हो, व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में लगी हुई किसी एजेन्सी या किसी व्यक्ति के अधीन, कोई नियोजन सम्मिलित है.

आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य होने के लिए अर्हता.

९. (१) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में नियुक्त होने या पद पर बने रहने के लिये अर्ह नहीं होगा, यदि वह :

- (क) विकृत चित्त का हो या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य हो गया हो;
- (ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो;
- (ग) किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहरा दिया गया हो जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो;
- (घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित रखता हो, जो आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हों;
- (ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे कि उसका पद पर बना रहना लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो;
- (च) अध्यादेश के अधीन दिए गए सरकार के निदेशों की अवहेलना करता हो.

(२) सरकार, विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या किसी सदस्य को हटा सकेगी.

(३) सरकार, ऐसी जांच की अवधि के दौरान जो कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य को निलंबित कर सकेगी.

आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी.

१०. (१) सरकार, किसी व्यक्ति को, आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी.

(२) आयोग का प्रशासनिक ढांचा, सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार होगा.

(३) आयोग, अनुमोदित किए गए ढांचे के अनुसार संविदा या प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा.

(४) सरकार, आयोग के कार्यकरण के लिए वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराएगी.

आयोग की कार्यवाहियां.

११. (१) आयोग, अपने मुख्यालय, भोपाल में सम्मिलन तथा बैठकों का आयोजन करेगा.

(२) आयोग के सम्मिलनों के लिए अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा एक सदस्य से मिलकर गणपूर्ति होगी.

(३) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) की अस्थायी अनुपस्थिति की दशा में आयोग के सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए सरकार सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी.

(४) आयोग के विनिश्चय बहुमत द्वारा किए जाएंगे.

(५) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, आयोग के सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे.

रिक्तियों आदि के कारण कार्य अथवा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.

१२. आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है.

अध्याय तीन

आयोग के कृत्य, कर्तव्य तथा शक्तियां

१३. इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

आयोग के कृत्य तथा कर्तव्य.

- (क) सरकार को, दो वर्ष में एक बार जल स्रोत जैसे कोई नदी, स्रोत या जल निकासी, प्राकृतिक झील या तालाबों में संग्रहित जल के उपयोग के लिए एक जल टैरिफ प्रणाली और सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रों में सतह के नीचे के जल का निम्नलिखित के लिए उपयोग करने की सिफारिश करना :—
- (एक) कृषि क्षेत्र ;
- (दो) प्रयोजन, जिसमें पीने के लिए और घरेलू, औद्योगिक, ऊर्जा उत्पादन और वाणिज्यिक प्रयोजन सम्मिलित हैं;
- (ख) निम्नलिखित के लिए यथाविहित पूंजी और प्रचालन व्यय पर विचार करते हुए किसी सेवा प्रदाता द्वारा जल की आपूर्ति के लिये दो वर्ष में एक बार टैरिफ अवधारित करना और उसकी सिफारिश करना :—
- (एक) किसी नगरपालिक सीमा के भीतर का क्षेत्र;
- (दो) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित गैर नगरपालिक क्षेत्र;
- (ग) सरकार को समय-समय पर सिंचाई, पेयजल और घरेलू, औद्योगिक जल आपूर्ति में दक्षता को प्रोन्नत करने के उपायों की सिफारिश करना;
- (घ) सरकार द्वारा आयोग को सौंपे गए किन्हीं अन्य कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करना.

१४. (१) इस अध्यादेश के अधीन किसी जांच या किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिये आयोग को, निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियां होंगी :—

आयोग की शक्तियां.

- (क) किसी सेवा प्रदाता या उसके प्रतिनिधि को समन करना और उसे हाजिर होने हेतु विवश करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;
- (ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य किन्हीं दस्तावेजों या अन्य सारवान वस्तुओं का प्रगटीकरण और उन्हें पेश कराया जाना;
- (ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (घ) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;
- (ङ) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनरावलोकन करना; और
- (च) कोई अन्य विषय जो सरकार द्वारा आयोग को सौंपे जाएं.

(२) आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में अपेक्षित सहायता देने हेतु समय-समय पर परामर्शदाताओं या विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा. परामर्शदाताओं या विशेषज्ञों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि विहित की जाएं.

(३) आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग से, जो आयोग के विनिश्चयों से प्रभावित हों या जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना हो, समय-समय पर परामर्श करने का हकदार होगा.

(४) आयोग ऐसे शुल्क या प्रभार उद्गृहीत कर सकेगा जो कि विहित किए जाएं.

आयोग की साधारण नीतियां.

१५. आयोग, राज्य की जल नीति और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति विषयक निदेशों के भीतर रहते हुए कार्य करेगा.

अध्याय चार

लेखे, संपरीक्षा और रिपोर्ट

आयोग को अनुदान तथा अग्रिम.

१६. सरकार आयोग को ऐसे अनुदान तथा अग्रिम उपलब्ध करायेगी जो कि इस अध्यादेश के अधीन उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हों और इस प्रकार दिया गया अनुदान तथा अग्रिम ऐसी शर्तों तथा निबंधनों पर होगा जो कि सरकार अवधारित करे.

आयोग का बजट.

१७. (१) आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो कि विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट तैयार करेगा और उसे सरकार को अग्रेषित करेगा.

(२) आयोग की समस्त राजस्व प्राप्तियां सरकार की संचित निधि में जमा की जाएंगी.

आयोग के लेखे.

१८. आयोग, समुचित लेखे तथा अन्य संबंधित अभिलेख संधारित करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में तैयार करेगा जो कि विहित की जाए. आयोग के लेखाओं के विवरण की एक प्रति विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.

१९. (१) आयोग प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान की अपनी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे सरकार को प्रस्तुत करेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की प्रति, उसके प्राप्त होने से छह मास के भीतर विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

अध्याय पाँच

प्रकीर्ण

सरकार की साधारण शक्तियां.

२०. (१) सरकार को राज्य में जल से संबंधित मामलों पर आयोग को नीति विषयक निदेश जारी करने की शक्ति होगी.

(२) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि क्या नीति के विषय के किसी ऐसे निदेश में लोकहित अन्तर्ग्रस्त है तो उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे.

२१. आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जबकि वे इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हों या उनका वैसा किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

२२. इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित किसी बात के लिये सरकार, आयोग, अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्यों और अधिकारियों के विरुद्ध, जिसमें आयोग के कर्मचारी सम्मिलित हैं, कोई वाद, अभियोजन अथवा कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

२३. (१) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

२४. आयोग, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये इस अध्यादेश और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

आयोग की विनियम बनाने की शक्ति।

२५. (१) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कि कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

२६. इस अध्यादेश के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही अपील योग्य नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे कि विनिश्चित करने के लिये इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन, आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी को सशक्त किया गया हो।

अधिकारिता का वर्जन।

अध्याय छह

व्यावृत्तियां

२७. (१) इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९), मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१), मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन विरचित नियमों में अधिकथित शक्तियां, अधिकार और कृत्य प्रभावित नहीं होंगे तथा वे लागू बने रहेंगे।

व्यावृत्तियां।

(२) इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के पूर्व उपधारा (१) में वर्णित अधिनियमों के अधीन किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्रवाइयां, जल के टैरिफ के निर्धारण के संबंध में इस अध्यादेश द्वारा उक्त अधिनियमों में किए गए उपांतरणों के होते हुए भी विधिमान्य और प्रवर्तनीय होंगी।

भोपाल :

दिनांक २७ अप्रैल, सन् २०१३.

रामनरेश यादव

राज्यपाल

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्र. 2883-143-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव।

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 2 OF 2013

THE MADHYA PRADESH JAL VINIYAMAN ADHYADESH, 2013

TABLE OF CONTENTS

Sections:

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent, commencement and application.
2. Definitions.

CHAPTER II
MADHYA PRADESH JAL VINIYAMAK AYOOG

3. Establishment and incorporation of Commission.
4. Appointment of Chairperson and Members.
5. Constitution and functions of Selection Committee.
6. Term of office of Chairperson and Members.
7. Remuneration of Chairperson and Members.
8. Conditions of service.
9. Qualification for being Chairperson and Member of the Commission.
10. Officers and employees of Commission.
11. Proceedings of Commission.
12. Vacancies, etc., not to invalidate act or proceeding.

CHAPTER III
FUNCTIONS, DUTIES AND POWERS OF THE COMMISSION

13. Functions and duties of Commission.
14. Powers of the Commission.
15. General policies of the Commission.

CHAPTER IV
ACCOUNTS, AUDIT AND REPORT

16. Grants and advances to Commission.
17. Budget of the Commission.
18. Accounts of the Commission.
19. Annual report of the Commission.

CHAPTER V
MISCELLANEOUS

20. General powers of the Government.
21. Chairperson, Members, Officers and other staff of Commission to be public servants.
22. Protection of action taken in good faith.
23. Power to make rules.
24. Power of Commission to make regulations.
25. Power to remove difficulties.
26. Bar of jurisdiction.

CHAPTER VI
SAVINGS

27. Savings.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
NO. 2 OF 2013

THE MADHYA PRADESH JAL VINIYAMAN ADHYADESH, 2013

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th April, 2013.]

Promulgated by the Governor of Madhya Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for the constitution of the Madhya Pradesh Jal Viniyamak Ayog for the State to advise the Government on matters relating to water tariff, efficiency of water use and for other purposes;

WHEREAS, State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause(1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Jal Viniyaman Adhyadesh, 2013.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No.3 of 1931), the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhinyam, 1999 (No.23 of 1999), the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhinyam, 1993(No. 1 of 1994) and in any other law for the time being in force, the provisions of this Ordinance shall apply with regard to fixation of water tariff.

Short title, extent, commencement and application.

2. (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Jal Viniyamak Ayog established under sub-section (1) of section 3;

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Member" means a member of the Commission;

(e) "prescribed" means prescribed by the rules or regulations made under this Ordinance;

(f) "regulation" means regulations made by the Commission under this Ordinance;

(g) "Selection Committee" means a Selection Committee constituted under section 5;

Definitions.

- (h) "Service Provider" means a person duly vested with the authority to render any or all of the following services for:
- (i) maintenance and operation of water supply system;
 - (ii) distribution of water;
 - (iii) collection of water charges and revenue related to water; and
 - (iv) any other service entrusted by the Government;
- (i) "tariff" means a specific charge or set of charges applicable for water supply.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931), the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), shall have the same meanings as have been assigned to them in the respective Acts.

CHAPTER II MADHYA PRADESH JAL VINIYAMAK AYOOG

Establishment and incorporation of Commission.

3. (1) The Government shall, by notification in the official Gazette, establish a Commission to be known as the Madhya Pradesh Jal Viniyamak Ayog. The Commission shall exercise such powers and perform such functions and duties as have been assigned to it, under this Ordinance.

(2) The Commission shall consist of a full time Chairperson and two full time Members.

(3) The Chairperson and the Members of the Commission shall be appointed by the Government on the recommendation of the Selection Committee constituted under section 5.

(4) The headquarters of the Commission shall be at Bhopal.

Appointment of Chairperson and Members.

4. (1) The qualification of Chairperson and Members of the Commission shall be as follows:—

- (a) the Chairperson shall be a person who has been an officer not below the rank of Principal Secretary to the Government and has experience of policy formulation and administration in water resources sector;
- (b) one Member shall be a person having a degree in Civil Engineering and having experience of at least 20 years in water resources sector, including two years as Chief Engineer in any Government;
- (c) one Member shall be a person having expertise in the field of urban administration and development having experience of at least three years in water resources sector.

(2) The Chairperson and Members of the Commission shall not hold any other office of profit.

Constitution and functions of Selection Committee.

5. (1) The Chairperson and Members of the Commission shall be appointed by the Government from a panel of names recommended by a Selection Committee comprising of:

- (i) Chief Secretary - Chairperson
- (ii) Agriculture Production Commissioner - Member

- | | | | |
|-------|---|---|-----------|
| (iii) | Secretary in charge of the Urban Administration and Development Department. | - | Member |
| (iv) | Secretary in charge of the Public Health Engineering Department. | - | Member |
| (v) | Secretary in charge of the Water Resources Department | - | Convener. |

(2) The Selection Committee shall recommend to the Government a panel of at least two names for each of the vacancies.

6. (1) The Chairperson and Members of the Commission shall hold office for a period of three years and shall be eligible for reappointment.

Term of office of Chairperson and members.

(2) The Chairperson or a Member shall cease to hold office on attaining the age of 65 years.

7. (1) The Chairperson and Members of the Commission shall be paid such remuneration as may be prescribed.

Remuneration of Chairperson and Members.

(2) The remuneration and other conditions of service of the Chairperson and Members of the Commission shall not be varied to their disadvantage after appointment.

8. (1) Notwithstanding anything contained in section 6, the Chairperson and the Members of the Commission may relinquish office by giving a notice of one month, in writing, to the Government.

Conditions of service.

(2) The Chairperson or a Member of the Commission shall:

- (a) not be eligible for further employment under the Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office;
- (b) not accept any commercial employment for a period of two years from the date he ceases to hold such office.

Explanation.—For the purposes of this sub-section:

- (i) “Employment under the Government” includes employment under any local or other authority within the territory of Madhya Pradesh or under the control of the Government or under any corporation or society owned or controlled by the Government.
- (ii) “Commercial employment” means employment in any capacity including under an agency or person engaged in trading, commercial, industrial or financial business in such sector over which the Commission has or had jurisdiction.

9. (1) No person shall be qualified for appointment or to remain in office as Chairperson or a Member, if he:—

Qualification for being a Chairperson and Member of the Commission.

- (a) is of unsound mind or has become physically incapable of performing his duties;
- (b) is an undischarged insolvent;
- (c) has been convicted of an offence involving moral turpitude;
- (d) has such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairperson or Member of the Commission;
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest;
- (f) disregards Government directions under this Ordinance.

(2) The Government may remove the Chairperson or a Member after an inquiry held as per procedure prescribed.

(3) The Government may, during the period of such inquiry as specified in sub-section (2), suspend the Chairperson or the Member.

Officers and employees of Commission.

10. (1) The Government shall appoint a person as Secretary to the Commission.

(2) The administrative setup of the Commission shall be as approved by the Government.

(3) The Commission may appoint, on contract or deputation, the officers and employees as per approved setup.

(4) The Government shall provide an annual grant for the functioning of the Commission.

Proceedings of Commission.

11. (1) The Commission shall meet and hold its meetings at its headquarters at Bhopal.

(2) The Chairperson and a Member shall constitute the quorum for meetings of the Commission.

(3) In the event of temporary absence of the Chairperson, the Government may nominate one of the Members to chair the meetings of the Commission.

(4) The Commission shall take decisions by the majority.

(5) All orders and decisions of the Commission shall be issued by the Secretary to the Commission.

Vacancies, etc., not to invalidate act or proceeding.

12. No acts or proceedings of the Commission shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of any vacancy in the Commission.

CHAPTER III

FUNCTIONS, DUTIES AND POWERS OF THE COMMISSION

Functions and duties of Commission.

13. Subject to the provisions of this Ordinance, the Commission shall perform and discharge the following functions and duties, namely:—

- (a) to recommend to the Government once in two years, a water tariff system for use of water from the source such as any river, stream or drainage channel, natural lake or collection of water in reservoir; and for use of sub-surface water in the area as notified by the Government for:
 - (i) agriculture sector;
 - (ii) purposes including drinking and domestic, industrial, power generation and commercial;
- (b) to determine and recommend the tariff once in two years, for supply of water by a service provider taking into consideration capital and operational expenditure as prescribed for :
 - (i) area within a municipal limit;
 - (ii) non-municipal area as notified by the Government from time to time;
- (c) to recommend to the Government from time to time measures for promoting water use efficiency in irrigation, drinking and domestic, industrial water supply;
- (d) to perform any other functions and duties assigned to the Commission by the Government.

14. (1) The Commission shall, for the purpose of any inquiry or proceedings under this Ordinance, have the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters:

Powers of the Commission.

- (a) summoning and enforcing of attendance of any service provider or his representative and examination on oath;
- (b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
- (c) receipt of evidence on affidavits;
- (d) requisition of any public record from any office;
- (e) review of its decisions, directions and orders; and
- (f) any other matters which may be assigned to the Commission by the Government.

(2) The Commission may from time to time appoint consultants or experts required to assist the Commission in the discharge of its functions. The terms and conditions of appointment of consultants or experts shall be such as may be prescribed.

(3) In the discharge of its functions the Commission shall be entitled to consult from time to time, such persons or classes of persons who may be affected or are likely to be affected by the decisions of the Commission.

(4) The Commission may levy such fee and charges as may be prescribed.

15. The Commission shall work within the framework of the State Water Policy and policy directives issued by the Government from time to time.

General policies of the Commission.

CHAPTER IV ACCOUNTS, AUDIT AND REPORT

16. The Government may, provide such grants and advances to the Commission as it may deem necessary for the performance of its functions and discharge of its duties under this Ordinance and all grants and advances so made shall be on such terms and conditions as the Government may determine.

Grants and advances to Commission.

17. (1) The Commission shall prepare in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year and forward it to the Government.

Budget of the Commission.

(2) All revenue receipts of the Commission shall be deposited in the Consolidated Fund of the Government.

18. The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and shall prepare an annual statement of accounts in such form and in such manner as may be prescribed. A copy of the statement of accounts of the Commission shall be laid on the table of the Vidhan Sabha.

Accounts of the Commission.

19. (1) The Commission shall prepare once in every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report, giving a summary of its activities during the previous year and shall submit the same to the Government.

Annual report of Commission.

(2) A copy of the report received under sub-section (1) shall be laid within six months, after it is received, on the table of the Vidhan Sabha.

CHAPTER V
MISCELLANEOUS

General powers of the Government.

20. (1) The Government shall have the power to issue policy directions to the Commission on matters concerning water in the State.

(2) If any question arises as to whether any such direction to a matter of policy involves public interest, the decision of the Government thereon shall be final.

Chairperson, Members, Officers and other staff of Commission to be public servants.

21. The Chairperson, Members, officers and other employees of the Commission shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Ordinance or rules or regulations made thereunder, to be the public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

Protection of action taken in good faith.

22. No suit, prosecution or any other legal proceeding shall lie against the Government Commission, Chairperson, Members and officers including employees of the Commission for anything done or purported to have been done in good faith in pursuance of the provisions of this Ordinance or rules or regulations made thereunder.

Power to make rules.

23. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, and subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the purposes of this Ordinance.

(2) Every rule made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be, after it is made, on the table of the Vidhan Sabha.

Power of Commission to make regulations.

24. The Commission with the prior approval of the Government may make regulations consistent with this Ordinance and the rules made there under, for discharge of its duties.

Power to remove difficulties.

25. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the Government may, by order published in official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made before the Vidhan Sabha.

Bar of jurisdiction.

26. No order or proceedings made under this Ordinance shall be appealable and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Commission or any other authority is empowered by or under this Ordinance to decide.

CHAPTER VI
SAVINGS

Savings.

27. (1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the powers, rights and functions laid down in the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931), the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhinyam, 1999 (No. 23 of 1999), the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhinyam, 1993 (No. 1 of 1994), and in any other law for the time being in force, or rules framed thereunder shall remain unaffected and shall continue to be in force.

(2) All actions taken by any person or authority under the Acts mentioned in sub-section (1) prior to the commencement of this Ordinance, shall be valid and enforceable notwithstanding the modifications to the said Acts made by this Ordinance in regard to fixation of water tariff.

Bhopal :
Dated the 27th April, 2013

RAM NARESH YADAV,
Governor,
Madhya Pradesh.